नागरिक/ ग्राहक अधिकार-पत्र

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीनस्थ भारत सरकार की एक सोसाइटी)

18-20, सामुदायिक केंद्र, साकेत, नई दिल्ली – 110017

वेबसाइट: www.nwda.gov.in

प्रकाशन माह और वर्ष:- फरवरी, 2011

अगस्त, 2016 में संशोधित

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

<u>नागरिक/ ग्राहक अधिकार-पत्र</u>

<u>परिकल्पना</u>

अंतर/ अंतः जलाशय जल अंतरण के इष्टतम उपयोग और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार देश के जल संसाधनों के वैज्ञानिक विकास के लिए विस्तृत योजना और सुगमता का एक प्रधान संगठन बनना, जो विशेष रूप से समता, नवीनता, प्रौद्योगिक विकास, उद्यमिता और नेतृत्व क्षमता, व्यवसायिक एवं मानव मूल्यों को महत्व देगा।

<u>हमारा लक्ष्य</u>

- राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (रा.प.यो.) के तहत जल संसाधनों के विकास के लिए परिकल्पित अंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों के भिन्न प्रस्तावों की पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट (पू.सं.रि.), संभाव्यता रिपोर्ट (सं.रि.) और डी.पी.आर. तैयार करना।
- राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संबंधी राज्य सरकारों के सहमति से राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अंतः राज्य लिंकों की पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट, संभाव्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।

<u>नागरिक अधिकार-पत्र/ रा.ज.वि.अ. के पणधारी</u>

रा.ज.वि.अ. निम्न प्रदान करेगा:

1. अंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों और अंतःराज्य लिंकों की पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट।
2. अंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों और अंतःराज्य लिंकों की संभाव्यता रिपोर्ट।
3. अंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों और अंतःराज्य लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।

क्रमांक	सेवाएं	सेवा मानदण्ड
1.	अंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों और अंतःराज्य लिंकों के पूर्व-संभावित रिपोर्ट की तैयारी	एक वर्ष
2.	अंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों और अंतःराज्य लिंकों के पूर्व-संभावित रिपोर्ट की तैयारी	2-3 वर्ष
3.	अंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों और अंतःराज्य लिंकों के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी	3-4 वर्ष

किसी भी व्यतिक्रम के मामले में, रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक से दूरभाष/ फैक्स/ पत्र/ व्यक्तिगत मुलाकात के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है (दूरभाष: 011-26519164, फैक्स: 011-26960841); ई-मेल पता: dg-nwda@nic.in

<u>हितधारी</u>

भिन्न राज्य सरकार,

भिन्न केंद्र सरकार मंत्रालय, विशेष रूप से:

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय,

कृषि मंत्रालय,

विद्युत मंत्रालय,

नीति आयोग,

वित्त मंत्रालय,

पर्यायवरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

ग्रामीण विकास मंत्रालय,

शहरी विकास मंत्रालय,

पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय

प्रमुख अधिकारी

निदेशक (तकनीकी),

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,

18-20, सामुदायिक केंद्र, साकेत,

नई दिल्ली – 110017

दूरभाष/फैक्स: 011-26569339, ई-मेल पता: dirtech-nwda@nic.in

शिकायत निवारण प्रणाली

(क) शिकायत सेल (जनता और कर्मचारी शिकायत)

रा.ज.वि.अ. को भेजे जाने वाले सभी जनता शिकायतों/ याचिकाओं को विधिवत स्वीकार किया जाता है और शिकायतों को संबोधित करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाती है।

जनता शिकायत निवारण के लिए मनोनीत अधिकारी हैं ***श्री आर.के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय),*** रा.ज.वि.अ., 18-20, सामुदायिक केंद्र, साकेत, पी.वी.आर. सिनेमा के निकट, नई दिल्ली – 110017 दूरभाष संख्या: 011-26852735 (कार्यालय) एवं 011-27947750 (आवासीय), फैक्स: 011-26960841, ई-मेल पता: cehqnwda@rediffmail.com, cehq-nwda@nic.in

(ख) यौन उत्पीड़न पर महिलाओं की शिकायत समिति

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में काम करने वाली महिलाओं की शिकायतों को संबोधित करने के लिए श्रीमती जानसी विजयन, निदेशक (एम.डी.यू.) के अध्यक्षता के तहत एक समिति संस्थापित की गई है। यौन उत्पीड़न या अन्य लिंग संबंधी अपराधों की शिकायत करने के लिए श्रीमती जानसी विजयन जी से 18-20, सामुदायिक केंद्र, साकेत, नई दिल्ली, दूरभाष संख्या: 011-26966831 (कार्यालय); ई-मेल पता: dirmdu-nwda@nic.in पर संपर्क कर सकते हैं।

(ग) <u>शिकायतों के निवारण की समय-सीमा</u>

सभी शिकायतों को एक महीने की अवधि के अंदर निपटाने और तीन महीनों के अंदर अंतिम निपटान किया जाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।